तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर–जैसलमेर अपील संख्या 07 / 2019 बअनवान गंगासिंह वगै. बनाम थानाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

25.01.2022

पीठासीन अधिकारीः– नखतदान बारहठ आर.ए.एस.

–ःनिर्णयः–

दिनांकः–25.01.2022

उपस्थितः–अपीलांट के अधिवक्ता श्री सुनिल के मेराजा उप.।
रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता श्री सुरेश पूनड़ उप.।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर अवकाश पर होने से पत्रावली प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। अपीलांटगण स्वयं एवं उनके अधिवक्ता श्री सुनिल के मेराजा एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 स्वयं तथा उनकी तरफ से अधिवक्ता श्री सुरेश पूनड़ उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 22 / 2016 बअनवान थानाराम वगै. बनाम गंगासिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 के विरूद्ध पेश हुई। उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

उभयपक्ष ने वक्त बहस संयुक्त हस्ताक्षरित एक नक्शा पेश किया जो परिशिष्ट "अ" के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया है, जिसमें सहमति से मामले में प्रस्तावित रास्ते के रकबे का नाप निम्नानुसार प्रस्तुत किया हैः–

क्र.सं.	ख.नं.	रकबा	फीट में मार्ग हेतु प्रस्तावित लम्बाई•चौडाई	रकबा वर्ग फीट रास्ता	प्रस्तावित ख.नं. में से रकबा	ख.न. में शेष रकबा हैं	संकेत चिन्ह
1	1727	3.8769	1069.2•20	21384	0.1986	3.6783	H to C
2	1733	7.5919	825•10	8250	0.0766	7.5153	G to J
3	1736	13.832	759•10	7590	0.0705	13.7615	J to I
4	3156 / 1731	22.7334	462•20	9240	0.0858	–	Cto I
			759•10	7590	0.0705	–	I to J
			825•10	8250	0.0766	22.5005	J to G
5	3154 / 1726	4.7429	198•20	3960	0.0367	4.7062	D to H

नोटः–खसरा संख्या 3156 / 1731 में तीन स्टेज में कुल रकबा 0.2329 हैक्टयर मार्ग में आया है। मामले में प्रस्तुत संशोधित शीर्षक रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर युक्त पेश परिशिष्ट "अ" में भू.अ.नि. फलसूण्ड ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि "खसरा संख्या 1727 व 1733 के समस्त खातेदार खसरा संख्या 1736 के समस्त खातेदारों एवं खसरा संख्या 3156 / 1731 के खातेदार गोपाराम डूगराराम व मगी पत्नी मथराराम के फौत होने से उनके वारिशों की सहमति के आधार पर सभी खातेदार सहमत होने उक्त प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

रास्ता कटान किया जाना उचित है।"

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायालय हाजा में लोक अदालत की भावना से उभयपक्षकारान द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्तुत नजरी नक्शा के आलोक में अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 22/2016 बअनवान थानाराम वगै. बनाम गंगासिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 को अपास्त किया जाकर परिशिष्ट "अ" के अनुसार सहमति से राजस्व रिकॉर्ड में राजहक में गै.मु. रास्ता कायम कर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार भणियाणा को आदेश दिये जाते हैं। चूंकि रास्ता उभयपक्षकारों द्वारा अपनी सहमति से दिया जाना तय किया है अतः रास्ते में प्रयुक्त होने वाले रकबे की प्रतिकर राशि का निर्धारण करने की कोई अवश्यकता नहीं है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2019 द्वारा पूर्व में तय प्रतिकर राशि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस को पुनः लौटाई जावे। तहसीलदार भणियाणा आदेश की पालना कर पालना से अवगत करावे। परिशिष्ट "अ" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

25/11/2022

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील-प्राधिकारी
बाड़मेर